

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-03/2026 श्र0सं0-

4589

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त (मु०)।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।

पटना, दिनांक- 5/8/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के अन्तर्गत, प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

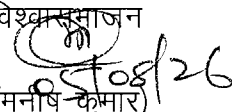
2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के विषयशीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद अन्तर्गत के स्थायी अपंगताग्रस्त प्रवासी श्रमिक के लिए कुल ₹ 50,000/- (₹ पचास हजार) मात्र आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
01.	औरंगाबाद	01	50,000 /-	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के ज्ञापांक-991, दिनांक-31.07.2026 के आलोक में। (1) आवेदक-रवि कुमार, पिता-ललिता सिंह, ग्राम-आट, पोस्ट-मनिका, थाना-प्रखंड-मदनपुर, जिला-औरंगाबाद।

3. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2299, दिनांक-22.04.2026 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना अन्तर्गत" अनुदान की राशि रु० 4,00,000/- (चार लाख) मात्र, रु० 2,00,000/- (दो लाख) मात्र एवं रु० 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से उनके वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
4. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग कोई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

(50)

6. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो अनियमित होगा।
7. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना दिहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
8. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान **RTGS (Real Time Gross Settlement)** पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
9. अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जाँच कर, उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभान्वित नहीं किया गया हो।
10. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
11. श्रमायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

 (मनीष कुमार)
 उप श्रमायुक्त (मु०)।

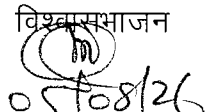
ज्ञापांक: 6/एफ1-03/2026 श्र0सं0- 4589

पटना, दिनांक- 5/8/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-सह-वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

 (मनीष कुमार)
 उप श्रमायुक्त (मु०)।